

1



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

R-785-M-17

प्रकरण क्रमांक / निगरानी / 2017-शिवपुरी

मस्तराम धाकड़ पुत्र श्री चन्द्र धाकड़
तात्कालिक सचिव ग्राम पंचायत
उपसिल तह.पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

— आवेदकगण

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी
2. एस.डी.ओ. पोहरी
3. राजेश मंगल निवासी निचला बाजार,
कस्टम गेट रोड शिवपुरी म.प्र.
4. श्रीमती शकुंतला पत्नी कन्हैयालाल
5. राकेश पुत्र कन्हैयालाल
6. तेज सिंह पुत्र जगदीश सभी
निवासीगण— ग्राम—मचाखुर्द, तह. पोहरी
जिला शिवपुरी म.प्र.
7. घनश्याम वर्मा पुत्र छिन्नाराम पूर्व सरपंच
ग्राम पंचायत उपसिल पोहरी शिवपुरी
(फॉर्मल पक्षकार) — अनावेदक

श्री क. व. र. विरूद्ध क. प्रकाश को
द्वारा आज दि 3-3-17 को
प्रस्तुत

फ. 3-3-17
क्लेक ऑफ कोर्ट 3-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(कलेक्टर शिवपुरी)
(253 वेकिल)
3/3/17
V. Singh

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 915/2009-10/निगरानी घनश्याम वर्मा आदि/म.प्र. शासन आदि आदेश दिनांक 21.08.2012 को पारित जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 02.03.2017 को प्राप्त हुई।

श्रीमान जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार पेश है:-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बहाय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-785-दो/17

जिला - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/05/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण नोटप्रेस में समाप्त किए जाने का निवेदन किया। विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर यह प्रकरण नोटप्रेस में समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	